437

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल संभाग ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

रा. प्र. क्र. / /निग. /अ-12/2014-15,
निग. / 3735-II-15

1. बब्बू कोरी } पिस. स्व. बिहारी
2. बल्लू कोरी } कोरी समस्त निवासी
3. भग्गो उर्फ भागीरथ कोरी, } ग्राम राधेपुर तह. छतरपुर।
4. दयाराम तनय बल्ला अहिरवार,
5. अचछेलाल } पिस. जगना अहिरवार निवासी
6. भगुन्ता } ग्राम राधेपुर तह. छतरपुर ।
7. रतीराम अहिरवार } पिस. भरोसा अहिरवार
8. हरीराम अहिरवार } नि. राधेपुर तह. व जिला-
छतरपुर म. प्र. । ------------आवेदकगण

बनाम

1. हल्काई तनय स्व. परमसुख कोरी निवासी
ग्राम राधेपुर तह. व जिला- छतरपुर । ---------अनावेदकगण
2. मध्य प्रदेश शासन ।

श्री मुकेश भार्गव, अधि. द्वारा आज दि. 21/11/15 को प्रस्तुत
[signature] 21/11/15
रीडर ऑफ दि बोर्ड राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के तहत् ।

निगरानी श्री मान् कार्या. राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर तह. छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 64/अ-12/2014-15, मे पा.आ. दिनांक 15-6-2015, से परिवेदित होकर ।

मुकेश भार्गव
21-11-15 एडवोकेट
ग्वालियर

महोदय,

आवेदकगण श्री मान् के समक्ष निम्न लिखित तथ्यों एव आधारो पर निम्न निगरानी श्री मान् के समक्ष प्रस्तुत करते है :-

1:- यह कि भूमि स्थित मौजा वरकोहा की भूमि ख. नं. 49 रकवा 0.089है. भूमि वर्तमान अभिलेख मे पचू,भगवानदास ,तनय कम्मोदा हिस्सा 1/2 हल्काई ,फुन्जा बेवा तनय परमसुख दुर्गीवाई पत्नी बृजलाल ,नन्दी, राजू,उदय,तनय बृजलाल कोरी वगै. के नाम गैरहकदार के रूप मे अंकितहै। [illegible] मे मे बगैर बटवारा किये मात्र हल्काई तनय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3735-दो/2015 जिला छतरपुर बब्बू विरूद्ध हल्काई व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 64/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 31-01-19 सदस्य	